प्रारंभिक परीक्षा

पृथ्वी तेजी से क्यों घूम रही है?

संदर्भ

अमेरिकी नौसेना वेधशाला और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी घूर्णन एवं संदर्भ प्रणाली सेवा के अनुसार, **9 जुलाई को पृथ्वी सामान्य से 1.34 मिलीसेकंड अधिक तेजी से घूम रही थी।**

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- 22 जुलाई और 5 अगस्त का दिन मानक 24 घंटे के दिन से 1.2 से 1.5 मिलीसेकंड छोटा होने की उम्मीद है।

- **विशालकाय प्रभाव परिकल्पना(Giant-impact hypothesis):** इस सिद्धांत के अनुसार, मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड (जिसका नाम थिया था) लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले प्रारंभिक पृथ्वी से टकराया था।
  - इस प्रभाव ने न केवल चंद्रमा को बनाने वाली सामग्री में योगदान दिया, बल्कि पृथ्वी के घूमने की गति और दिशा दोनों को भी बदल दिया और इसे अपना वर्तमान अक्षीय झुकाव दिया।

हाल ही में पृथ्वी तेजी से क्यों घूम रही है?

- **पृथ्वी के कोर में हलचलें:** मेंटल के सापेक्ष तरल बाहरी कोर में परिवर्तन ग्रह के कोणीय संवेग को बदल सकता है।
  - यह आंतरिक द्रव्यमान पुनर्वितरण पृथ्वी के घूर्णन को तेज या धीमा कर देता है।
- **वायुमंडलीय और महासागरीय परिवर्तन:** वायुदाब, जेट धाराओं और महासागरीय धाराओं में परिवर्तन से पृथ्वी पर द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है, जिससे घूर्णन प्रभावित होता है।
  - ये परिवर्तन अक्सर मौसमी चक्रों और अल्पकालिक जलवायु पैटर्न के साथ संरेखित होते हैं।
- **चंद्रमा की बदलती स्थिति:** जब चंद्रमा पृथ्वी की भूमध्य रेखा से दूर होता है, तो यह कम ज्वारीय घर्षण उत्पन्न करता है, जिससे पृथ्वी तेजी से घूमती है।
  - हालाँकि, दीर्घावधि में, चंद्रमा धीरे-धीरे पृथ्वी से दूर जाकर (~4 सेमी/वर्ष) पृथ्वी की गति को धीमा कर देता है।
- **हिमनदों का पिघलना और द्रव्यमान पुनर्वितरण:** जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से द्रव्यमान भूमध्य रेखा की ओर पुनर्वितरित हो जाता है।
  - इससे पृथ्वी की चपटी अवस्था (भूमध्य रेखा पर उभार) बढ़ जाती है, जिससे घूर्णन धीमा हो सकता है, लेकिन कुछ पुनर्वितरण अस्थायी रूप से इसे तेज भी कर सकते हैं।
- **अल्पकालिक परिवर्तनशीलता:** पृथ्वी का घूर्णन कभी भी पूर्णतः स्थिर नहीं रहा है।
  - अभी की तरह (तेज गति से घूमना), अतीत में भी धीमे दौर रहे हैं (जैसे, 1970, 1990 के दशक) जब दिन नियमित रूप से 24 घंटे से अधिक होते थे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)

संदर्भ

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन(ANRF) ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना शुरू की है। राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपये की वार्षिक फेलोशिप की पेशकश की जाएगी, साथ ही विदेशी वैज्ञानिकों और सेवानिवृत्त विशेषज्ञों को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

ANRF (अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) के बारे में -

- **गठन: 2023 में (ANRF अधिनियम 2023 के तहत वैधानिक निकाय)**
- **संगठनात्मक संरचना:**
  - **शासी बोर्ड**
    - **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री
    - **उपाध्यक्ष:** केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होते हैं।
    - **सदस्य:** 15-25 प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवर।
  - **कार्यकारी परिषद**
    - **अध्यक्ष:** प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
    - **सदस्य:** इसमें विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों के सचिव शामिल हैं
- **बजट:**
  - ANRF पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ काम कर रहा है।
  - सरकारी अंशदान: 14000 करोड़ रुपये
  - निजी स्रोतों के माध्यम से धन जुटाना: 36000 करोड़ रुपये
- **कार्य:**
  - भारत के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास (R&D) और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
  - उद्योग, शिक्षा और सरकार के साथ सहयोग करना।
  - सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग व्यय बढ़ाने के लिए एक नियामक ढांचा विकसित करना।
  - लघु, मध्यम और दीर्घकालिक अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास रोडमैप तैयार करना।
- **ANRF द्वारा अन्य प्रमुख पहल:**
  - **प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान(PMECRG)**: यह प्रारंभिक कैरियर शोधकर्ताओं को तीन वर्षों में 60 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करता है, जिसमें लचीले वित्तपोषण, ओवरहेड्स और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति होती है।
  - **उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन - इलेक्ट्रिक वाहन(MAHA- EV) मिशन:** यह बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और ड्राइव (पीईएमडी) और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी प्रमुख ईवी प्रौद्योगिकियों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है।

स्रोत: द हिंदू

ब्लैकहोल विलय(Blackhole Merger)

संदर्भ

10 जुलाई को वैज्ञानिकों ने असामान्य रूप से विशाल ब्लैक होल विलय की खोज की सूचना दी।

ब्लैक होल विलय के बारे में -

- **परिभाषा**: ब्लैक होल विलय तब होता है जब दो ब्लैक होल - अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले अत्यंत घने निकाय - एक दूसरे की ओर सर्पिल गति करते हैं और अंततः एक बड़े ब्लैक होल में मिल जाते हैं।
- **प्रक्रिया**:
    - जब ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगें (स्पेसटाइम में लहरें) उत्सर्जित करते हैं।
    - इस उत्सर्जन के कारण उनकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिससे वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
    - अंततः वे आपस में टकराते हैं और विलीन हो जाते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का विस्फोट होता है।
- **हाल की खोज (GW231123)**:
    - **23 नवंबर, 2023 को पता चला**
    - इसमें दो विशाल ब्लैक होल शामिल थे:
        - सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 137 गुना
        - सूर्य के द्रव्यमान का ~103 गुना
    - परिणाम स्वरूप एक और भी बड़ा ब्लैक होल बना।
- **महत्व**:
    - यह घटना मूल ब्लैक होल के बड़े आकार के कारण असामान्य थी, जो इस द्रव्यमान सीमा में आम तौर पर दुर्लभ होते हैं।
    - इससे पता चलता है कि विशाल ब्लैक होल केवल मरते हुए तारों से ही नहीं, बल्कि छोटे ब्लैक होल के विलय से भी बन सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू

वैश्विक शिपिंग किस प्रकार कार्बन मुक्त होने का प्रयास कर रही है?

संदर्भ

वैश्विक शिपिंग क्षेत्र 2040–50 तक डिकार्बनाइज़ेशन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक ईंधनों जैसे VLSFO, डीज़ल और LNG को हरित विकल्पों—जैसे ग्रीन अमोनिया, ई-मेथनॉल और बायोफ्यूल्स—से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह भारत के लिए हरित ऊर्जा क्षेत्र में बड़े अवसर उत्पन्न कर रहा है।

हरित ईंधन उत्पादन -

- **ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से बनाया जाता है।**
- समुद्री उपयोग के लिए, अधिक स्थिर व्युत्पन्नों को प्राथमिकता दी जाती है:
    - **ग्रीन अमोनिया**: ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना।
    - **ग्रीन मेथनॉल**: ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर किए गए औद्योगिक CO_2 से उत्पादित।
- भारत उर्वरक के लिए एलएनजी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन अमोनिया को बढ़ावा दे रहा है।

संक्रमण ईंधन के रूप में ग्रीन मेथनॉल -

- ग्रीन मेथनॉल, शिपिंग के डिकार्बनाइज़ेशन हेतु पसंदीदा ईंधन के रूप में उभर रहा है क्योंकि:
    - यह उपयोग में सरल है।
    - पारंपरिक ईंधनों की तुलना में ~90% कम उत्सर्जन करता है।
    - यह मौजूदा जहाज इंजनों के साथ अनुकूल है (जबकि ग्रीन अमोनिया नहीं)।
- 360 से अधिक मेथनॉल-तैयार जहाज उपयोग में हैं या निर्माणाधीन हैं, जिन्हें मैर्सक, सीएमए सीजीएम, एवरग्रीन आदि का समर्थन प्राप्त है।
- **ऊंची कीमतें**:
    - ग्रीन ई-मेथनॉल = 1,950 डॉलर/टन (सिंगापुर, फ़रवरी 2024)
    - VLSFO = 560 डॉलर/टन
- **लागत चालक**:
    - 10-11 मेगावाट घंटे नवीकरणीय बिजली की आवश्यकता होती है।
    - इलेक्ट्रोलाइजर बुनियादी ढांचे के लिए उच्च पूंजीगत लागत।
- **मांग-आपूर्ति अंतर**:
    - 2028 तक मांग 14 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि आपूर्ति केवल 11 मिलियन टन तक ही पहुंच पाएगी।

भारत की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति और हरित ईंधन निर्यात योजनाएँ -

- भारत घरेलू शिपिंग को कार्बन मुक्त करने की योजना बना रहा है:
    - कंटेनर जहाजों के लिए हरित ईंधन को बढ़ावा देना।
    - तूतीकोरिन (वीओसी बंदरगाह) और कांडला में हरित ईंधन बंकरिंग केन्द्र विकसित करना।
- सिंगापुर को हरित ईंधन निर्यात करने की योजना है, जो वैश्विक जहाज ईंधन मांग का 25% प्रबंधन करता है।
- वैश्विक हरित ईंधन आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने के लिए अपनी विशाल सौर क्षमता और हरित तकनीक विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।

भारत के हरित समुद्री ईंधन केंद्र का निर्माण – चुनौतियाँ और समाधान

- **प्रमुख चुनौतियाँ**:
    - आयातित सौर पैनलों और इलेक्ट्रोलाइजर पर निर्भरता।
- **प्रगति और समाधान**:

- **सौर क्षमता वृद्धि**: 2.82 गीगावाट (2014) से 105 गीगावाट (2025) तक ।
- सस्ते विदेशी वित्तपोषण के माध्यम से उधार लेने की लागत को कम करने के लिए संप्रभु गारंटी का उपयोग।
- **नीतिगत उपकरण जैसे:**
  - इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन के लिए पीएलआई योजनाएं।
  - सीसीयूएस (कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण) प्रोत्साहन।
- **लक्ष्य**: स्थानीय हरित ईंधन मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करना और CO_2 परिवहन लागत को कम करना।
- सरकार का लक्ष्य 1.5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता सृजित करना है।
- ग्रीन मेथनॉल के लिए औद्योगिक CO_2 स्रोतों का विस्तार करना।
- बहुपक्षीय विकास बैंकों से कम ब्याज दर वाले ऋणों (4%) तक पहुँच, जबकि घरेलू ऋणदाताओं से 11-12%।

हरित ईंधन के माध्यम से भारतीय जहाज निर्माण को पुनर्जीवित करना -

- भारत निम्नलिखित तरीकों से जहाज निर्माण और जहाज स्वामित्व को समर्थन देता है:
  - मांग-पक्ष प्रोत्साहन की पेशकश
  - विदेशी सहयोग को प्रोत्साहित करना (जैसे, दक्षिण कोरिया, जापान के साथ)।
  - पुराने जहाजों का नवीनीकरण करना तथा नए हरित ईंधन-सक्षम जहाजों का निर्माण करना।
- **निवेश:**
  - 110 से अधिक जहाजों के निर्माण के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया।
  - **लक्ष्य:** 10-20% जहाज हरित ईंधन से चलने वाले, भारत में निर्मित तथा भारतीय ध्वज वाले हों।
- इसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करते हुए स्थानीय जहाज निर्माण को मजबूत करना है।

स्रोत: द हिंदू

पैट्रियट मिसाइल सिस्टम(Patriot Missile System)

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की है कि वाशिंगटन बढ़ते रूसी आक्रमण के जवाब में यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा।

पैट्रियट सिस्टम क्या है?

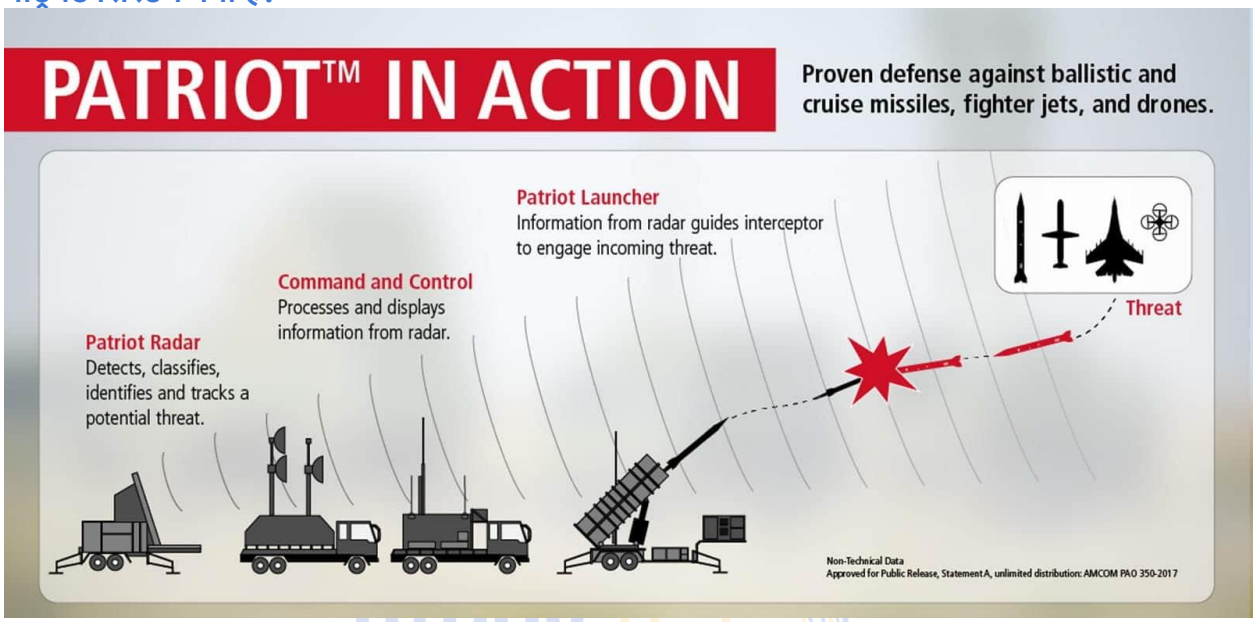

- **पूरा नाम:** Patriot पूरा नाम Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target (MIM-104) अर्थात चरणबद्ध एरे ट्रैकिंग रडार जो लक्ष्य पर अवरोधन करता है।
- **यह सभी मौसम, सभी ऊंचाई, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है।**
- मूलतः विमान-रोधी उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसे निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए उन्नत किया गया है:
    - बैलिस्टिक मिसाइलें
    - क्रूज मिसाइलें
    - घूमते रहने वाले हथियार (Loitering munitions)
    - दुश्मन के विमान
- ट्रैक-वाया-मिसाइल (**TVM**) मार्गदर्शन प्रणाली से सुसज्जित।
- यह एक मोबाइल नियंत्रण केंद्र से मध्य-कोर्स सुधार (mid-course correction) आदेश प्राप्त करता है।
- **दो मुख्य इंटरसेप्टर प्रकार:**
    - PAC-2: विस्फोट-विखंडन वारहेड का उपयोग करता है।
    - PAC-3: अधिक सटीक लक्ष्य उन्मूलन के लिए हिट-टू-किल प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

समाचार में स्थान

स्वीडा (सुवेडा)

खबर? इजराइल ने स्वीडा में सीरियाई सरकार पर हमला किया।

स्वीडा के बारे में -

- **यह दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में जॉर्डन की सीमा के पास स्थित एक शहर है।**
- **जनसंख्या**: मुख्यतः **ड्रूज़**, **सीरिया में एक धार्मिक अल्पसंख्यक।**
    - यहां **बेडौइन जनजाति** भी पाई जाती है।

तथ्य

- सीरिया की सीमा उत्तर में तुर्की, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में लेबनान और इजराइल, पूर्व में इराक और दक्षिण में जॉर्डन से लगती है।

स्रोत: द हिंदू

संपादकीय सारांश

वन प्रशासन के भविष्य पर विवाद

संदर्भ

हाल ही में, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक पत्र जारी कर स्वयं को वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

- हालांकि बाद में जमीनी स्तर पर जोरदार आंदोलन के बाद पत्र को वापस ले लिया गया, हालांकि इसमें वनों के प्रबंधन में ग्राम सभाओं की स्वायत्तता पर लगातार हो रहे हमले को उजागर किया गया है।

भारत में वन प्रबंधन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -

- **राज्य नियंत्रण की औपनिवेशिक विरासत**: ब्रिटिश शासन के तहत, भारतीय वन अधिनियम, 1865/1927 जैसे अधिनियमों के माध्यम से वनों के बड़े भूभाग को केंद्रीकृत राज्य नियंत्रण के अधीन लाया गया था।
    - स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, और वन प्रबंधन को लकड़ी के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया।
- **वैज्ञानिक वानिकी मॉडल**: औपनिवेशिक वनपालों द्वारा प्रस्तुत इस मॉडल में कार्य योजनाओं पर जोर दिया गया, जिसमें वाणिज्यिक कटाई को प्राथमिकता दी गई, जो प्रायः स्पष्ट कटाई और एकल-कृषि वृक्षारोपण के माध्यम से होती थी।
    - माधव गाडगिल जैसे पारिस्थितिकीविदों ने इस मॉडल की आलोचना करते हुए कहा कि यह पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी है तथा इसमें जैव विविधता और सामुदायिक आजीविका की अनदेखी की गई है।
- **स्वतंत्रता के बाद की निरंतरता**: 1947 के बाद भी, राज्य वन विभागों ने औपनिवेशिक मॉडल का पालन करना जारी रखा, जिसमें वनों का प्रबंधन शीर्ष-स्तरीय कार्य योजनाओं और बहुत कम स्थानीय भागीदारी के माध्यम से किया जाता था।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) -

- **CFRR वन अधिकार अधिनियम, 2006 का एक प्रमुख प्रावधान है, जो प्रथागत वनों के शासन, संरक्षण और प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं के अधिकारों को मान्यता देता है।**
- **उद्देश्य**: औपनिवेशिक वन नीतियों के कारण हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना तथा वन प्रशासन में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना।
- **प्रमुख विशेषताएँ**:
    - ग्राम सभाएं स्थानीय ज्ञान के आधार पर CFR प्रबंधन योजनाओं का मसौदा तैयार कर उन्हें क्रियान्वित कर सकती हैं।
    - इन योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय आजीविका, जैव विविधता और सांस्कृतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देना है, न कि केवल लकड़ी निष्कर्षण को।
- **राज्य तंत्र के साथ एकीकरण**: CFR योजनाओं को ग्राम सभा की शर्तों पर राज्य कार्य योजनाओं के साथ "एकीकृत" किया जाना है, न कि उनके द्वारा ओवरराइड किया जाना है।

वन प्रबंधन में ग्राम सभाओं का महत्व -

- **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण**: ग्राम सभाएं गांव स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और वन संसाधन प्रबंधन में स्थानीय स्वशासन को मूर्त रूप देती हैं।
- **पारिस्थितिकी समझ**: स्थानीय पारिस्थितिकी के बारे में उनका ज्ञान जीवंत, अनुकूलनीय और सूक्ष्म है, जो कठोर कार्य योजनाओं की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

- **आजीविका संबंध**: ग्राम सभाएं वास्तविक सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ईंधन, चारा, औषधीय पौधों और गैर-लकड़ी वन उपज को प्राथमिकता देती हैं।
- **प्रथागत संस्थाएं**: वे पारंपरिक संरक्षण प्रणालियों को संरक्षित करती हैं , जो अक्सर वैज्ञानिक वानिकी की तुलना में अधिक टिकाऊ होती हैं।
- **अधिकारों की बहाली**: FRA के तहत उनका अधिकार उनके नेतृत्व की कानूनी मान्यता है, जो औपनिवेशिक अलगाव को उलट देता है।

क्या संबोधित करने की आवश्यकता है -

- **स्वायत्तता का उल्लंघन:** वन विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय (**MoTA)** ने नेशनल वर्किंग प्लान कोड (**NWPC)** के माध्यम से कार्य योजना के ढांचे थोपने का प्रयास किया है**,** जिससे ग्राम सभा द्वारा नेतृत्व किए गए योजना निर्माण की प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है।
- **प्रशासनिक प्रतिरोध**: वन विभाग CFR दावों को विलंबित या अस्वीकार करते रहते हैं, धनराशि देने से इनकार करते हैं, तथा CFRR के अधिकारों को चुनौती देते हैं, तथा औपनिवेशिक नियंत्रण से चिपके रहते हैं।
- **"वैज्ञानिक वानिकी" का दुरुपयोग**: वन विभागों द्वारा प्रयुक्त लकड़ी-केंद्रित विज्ञान CFRR के आजीविका और संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।
- **संस्थागत सहायता का अभाव:** कई ग्राम सभाओं में संसाधनों और क्षमता का अभाव है, तथा विभागीय दबाव के कारण उन्हें गैर सरकारी संगठनों या संबद्ध एजेंसियों से सहायता नहीं मिल पाती है ।
- **खराब कार्यान्वयन:** जारी किए गए 10,000 से अधिक CFRR शीर्षकों में से, 1,000 से भी कम गांवों ने प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं, जिसका मुख्य कारण समर्थन का अभाव है।

आगे की राह -

- **एनडब्ल्यूपीसी के अधिरोपण को अस्वीकार करना**: CFR योजनाओं को राष्ट्रीय कार्य योजना कोड प्रारूपों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जो जटिल और लकड़ी-उन्मुख हैं।
- **जनजातीय कार्य मंत्रालय की भूमिका को मजबूत करना**: जनजातीय कार्य मंत्रालय को सामुदायिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रभावित एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के रूप में।
- **ग्राम सभा नियोजन को समर्थन प्रदान करना**: पारंपरिक ज्ञान पर आधारित लचीली, पुनरावृत्तीय और संदर्भ-विशिष्ट नियोजन की अनुमति देना।
- **वित्तीय एवं संस्थागत सहायता प्रदान करना**: वन विभागों को CFR धारण करने वाली ग्राम सभाओं को बाधित करने के बजाय उन्हें वित्तपोषित एवं संरक्षित करना चाहिए।
- **विज्ञान में बदलाव लाना**: लोगों के अनुकूल वन विज्ञान को अपनाएं जो लकड़ी के निष्कर्षण की तुलना में स्थानीय प्रबंधन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को महत्व देता हो।

स्रोत: द हिंदू

भारत की भाषाई पंथनिरपेक्षता की रक्षा की आवश्यकता

संदर्भ

भारत की भाषाई और धार्मिक विविधता इसके पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखती है, लेकिन बढ़ती पहचान की राजनीति और भाषा-आधारित तनाव राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करते हैं।

भारतीय संविधान भाषाई पंथनिरपेक्षता की गारंटी कैसे देता है -

- **अनुच्छेद 29:** प्रत्येक समुदाय को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार सुनिश्चित करता है, अल्पसंख्यक भाषाई पहचान की रक्षा करता है।
- **आठवीं अनुसूची**: 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्रदान करती है, जो भाषाई विविधता के लिए संवैधानिक सम्मान का प्रतीक है।
- **अनुच्छेद 343: देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, राष्ट्रभाषा नहीं।**
- **अनुच्छेद 345**: राज्यों को क्षेत्रीय भाषायी प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए अपनी स्वयं की आधिकारिक भाषा अपनाने की अनुमति देता है।
- **कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं: भारत जानबूझकर एक भी राष्ट्रीय भाषा थोपने से बचता है, जिससे भाषाई बहुसंख्यकवाद को रोका जा सके।**

भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है?

- **संवैधानिक मंशा**: संविधान निर्माताओं ने भारत की बहुभाषी पहचान को बनाए रखने के लिए किसी भी राष्ट्रीय भाषा को नामित नहीं करने का निर्णय लिया।
- **विविध जनसंख्या**: 121 प्रमुख भाषाओं और 270 मातृभाषाओं के साथ, एक भाषा को थोपना विभाजनकारी होगा।
- **संघीय लोकाचार**: भारत का "राज्यों का संघ" मॉडल क्षेत्रीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करता है।
- **अतीत में प्रतिरोध**: तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में ऐतिहासिक हिंदी विरोधी आंदोलनों ने केंद्रीय भाषाई थोपने का विरोध किया।

भारत में भाषाई पंथनिरपेक्षता से संबंधित चुनौतियाँ -

- **भाषा-आधारित हिंसा:** महाराष्ट्र में गैर-मराठी भाषियों पर हाल के हमले भाषाई पहचान की राजनीति के उदय को दर्शाते हैं।
- **हिंदी थोपे जाने का डर**: दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्य हिंदी के प्रचार को सांस्कृतिक प्रभुत्व के रूप में देखते हैं।
- **सांस्कृतिक हाशिए पर डालना**: आठवीं अनुसूची में शामिल न होने वाली छोटी भाषाओं के लुप्त होने और उपेक्षा का खतरा है।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण**: चुनावी लाभ के लिए भाषा के मुद्दों का तेजी से राजनीतिकरण किया जा रहा है।
- **शैक्षिक पहुंच का अभाव:** मातृभाषा आधारित शिक्षा में असमानता, विशेष रूप से आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए।

क्या किया जाने की जरूरत है -

- **भाषाई बहुलवाद को बढ़ावा देना**: केवल अनुसूचित भाषाओं को ही नहीं, बल्कि सभी भाषाओं के उपयोग और प्रलेखन को प्रोत्साहित करना।
- **मातृभाषा शिक्षा को मजबूत करना**: क्षेत्रीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा का समर्थन करने वाले एनईपी 2020 प्रावधानों को लागू करना।
- **संवैधानिक सुरक्षा लागू करना**: भाषाई भेदभाव को रोकने के लिए अनुच्छेद 29, 343 और 345 को सख्ती से लागू करना।

- **पहचान की राजनीति का प्रतिकार करना**: राजनीतिक अभिनेताओं को भाषाई अंधराष्ट्रवाद को बढ़ावा देने से हतोत्साहित करना।
- **आठवीं अनुसूची का विस्तार करना**: अधिक गैर-मान्यता प्राप्त भाषाओं को इसमें शामिल करने पर विचार करें ताकि उन्हें संवैधानिक समर्थन मिल सके।
- **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना**: सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समावेशी नीति-निर्माण के माध्यम से अंतर-भाषाई सम्मान को बढ़ावा देना।

स्रोत: द हिंदू